



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध मदिरा के निर्माण, व्यापार तथा तस्करी के उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.09.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के पर्यवेक्षण में शराब के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत थानाध्यक्ष अजनर श्री लाखन सिंह द्वारा गठित SI मलखान सिंह मय हमराह HC राजकुमार, का.रवि कुमार व म.का. पिकी यादव थाना अजनर जिला महोबा द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता पल्लवी पत्नी सुनील कबूतरा नि.ग्राम कबूतरा डेरा धवर्गा अजनर महोबा उम्र 25 वर्ष के कब्जे से एक प्लास्टिक के डिब्बे में करीब 13 ली. कच्ची शराब के साथ कबूतरा डेरा थाना अजनर जनपद महोबा से बरामद की गई । वाद आवश्यक कार्यवाही उपरोक्त अभियुक्ता के विरुद्ध मु.अ.स. 168/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि. मलखान सिंह थाना अजनर जनपद महोबा
2. हे.का. राजकुमार थाना अजनर जिला महोबा
3. का.रवि कुमार थाना अजनर जिला महोबा
4. म.का. पिकी यादव थाना अजनर जिला महोबा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.09.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वाछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कबरई दिनेश सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 ब्रम्हादीन के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर 01 नफर वारन्टी अभियुक्त राजेश कोरी पुत्र गड्डू कोरी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई सम्बन्धित मु0अ0सं0 282/2017 धारा 376/506/452 भादवि सरकार बनाम गंगादीन आदि मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) महोबा को ग्राम मकरबई थाना कबरई से गिरफ्तार किया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 ब्रम्हादीन
2. कां0 अवनेश कुमार
3. कां0 राहुल रंजन
4. पीआरडी सन्तोष कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश कोरी पुत्र गड्डू कोरी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जिला महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने पुलिस आरक्षी के साथ अभद्रता / हाथापाई करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्धों के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में दिनांक 23.09.2021 को समय करीब 20.00 बजे गठित टीम द्वारा क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत गस्त की जा रही थी कि थाना चरखारी अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उद्यान पार्क में अभियुक्त बृजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष, स्थानीय लोगों से गाली-गलौच व विवाद कर रहा था, जिसको पुलिस टीम द्वारा समझाते हुये मना किया गया, जिस पर आक्रोशित होकर अभियुक्त ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने हुये पुलिस आरक्षी के साथ अभद्रता/हाथापाई की जिसके क्रम में थाना चरखारी SHO शशि कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया, गठित टीम ने आज दिनांक 24.09.2021 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 244/2021 धारा 323/332/504/506/353 पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 नीलम देवी प्रभारी महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चरखारी।
2. हे.का. अशोक दुबे 3. का. वेदप्रकाश महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चरखारी महोबा

नाम पता अभियुक्त -

बृजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष नि. ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ आयोजित की गयी मासिक समीक्षा गोष्ठी...।

आज दिनांक 24.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर किशोर न्याय अधिनियम व पॉक्सो एक्ट पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें समस्त थानों में नियुक्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन करने वाले बाल अपचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये जिसके सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख आदर्श नियम 2016 के संबंध में चर्चा की गयी जिसमें चाइल्डलाइन डायरेक्टर श्री मनोज कुमार द्वारा जेजे एक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी सभी थानों से आए बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारी गणों को दी गई जिसमें बाल कल्याण समिति के सदस्य चाइल्डलाइन डायरेक्टर एवं पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वांछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम ने दिनांक 23.09.2021 को 01 नफर वांछित अभियुक्त शब्बीर पुत्र रहमान निवासी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा सम्बन्धित 1. मु0अ0सं0 412/21 धारा 354क/323/504 भादवि0 व 8 पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

इसी क्रम में द्वितीय टीम द्वारा आज दिनांक 24.09.2021 को कालीपहाड़ी रोड पर एक नफर वांछित अभियुक्त 1.कल्लू उर्फ मुन्ना पुत्र रज्जन लोधी निवासी भैसाई नौबस्ता बाबूखेडा थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र 38 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 583/2020 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उक्त दोनो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुये मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. व0उ0नि0 आनन्द कुमार
2. उ0नि0 अनुराग पाण्डेय
2. का0 शुभम
3. रि0आ0 बलराम पटेल





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में पैदल गस्त करके करबे में की गई संदिग्धों की चेकिंग

व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **214 ई-चालान** किये गये तथा कोविड नियमों के उल्लंघन पर **12 व्यक्तियों से 700 रु०** वसूला गया।



आज दिनांक 24.09.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.09.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police